

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ

रिट - ए संख्या - 6003 वर्ष 2026

अनिल कुमार सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता	:	डी.के. सिंह चौहान, महेंद्र बहादुर सिंह
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी., शिवांशु गोस्वामी

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति मनजीव शुक्ला

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री डी.के. सिंह चौहान, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुज टंडन को सुना।
2. याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका 22.5.2026 और 30.5.2026 के आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की है, जिनके तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है और उसे मुख्यालय से संबद्ध किया गया है।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि 22.5.2026 के आदेश को पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया गया था, जिसका उसने जवाब भी दिया था; लेकिन आक्षेपित आदेश 22.5.2026 को पारित करते समय उस जवाब पर विचार नहीं किया गया और आदेश में यह दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया था।
4. इस मामले की सुनवाई इस न्यायालय द्वारा 05.06.2026 को की गई और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :-

"1. अधिवक्ता श्री अनुज टंडन ने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया है, जिसे पत्रावली पर लिया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अन्नूज टंडन को सुना।

3. याचिकाकर्ता ने 22.05.2026 के आदेश से व्यथित होकर यह याचिका दायर की है, जिसके अनुपालन में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई है और उन्हें मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान आक्षेपित आदेश की ओर आकर्षित किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता को 07.05.2026 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें दो दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा आज तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन करने में याचिकाकर्ता की उदासीनता और लापरवाही को दर्शाता है।

5. आगे यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने 07.05.2026 के कारण बताओ नोटिस का उत्तर 11.05.2026 को प्रस्तुत किया था, जिसे रिट याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 6 के रूप में विधिवत संलग्न किया गया है। अतः, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश बिना किसी विवेक के और याचिकाकर्ता के कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार किए बिना पारित किया गया है।

6. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता ने इस मामले में निर्देश लेने हेतु एक सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया, जो प्रदान किया जाता है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निवेदन के आलोक में, इस मामले को 22.06.2026 को नवीनतम सूची में सूचीबद्ध किया जाए।"

5. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अन्नूज टंडन ने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 22.5.2026 और 30.5.2026 के आक्षेपित आदेश पारित करते समय अनजाने में उस पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि यह न्यायालय इस रिट याचिका में आक्षेपित आदेशों को रद्द कर सकता है और सक्षम प्राधिकारी को इस मामले में नए आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दे सकता है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और पाया है कि इस रिट याचिका में चुनौती दिए गए आदेशों को पारित करने से पहले, याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उसने अपना जवाब प्रस्तुत किया था, लेकिन आक्षेपित आदेशों 22.5.2026 और 30.5.2026 में याचिकाकर्ता के जवाब पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया, और इसके विपरीत यह निष्कर्ष दर्ज किया गया कि उसने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से दिए गए उचित स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका इस सीमित आधार पर **स्वीकार** की जाती है कि इस याचिका में चुनौती दिए गए आदेशों को पारित करते समय याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार नहीं किया गया था, और इसलिए, इस रिट याचिका में चुनौती दिए गए 22.5.2026 और 30.5.2026 के आदेशों को एतद्वारा निरस्त किया जाता है। हालांकि, सक्षम अधिकारी को यह छूट दी गई है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए जवाब पर विचार करने के बाद इस मामले में नए आदेश जारी कर सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस कोर्ट ने इस रिट याचिका में चुनौती दिए गए आदेशों के खिलाफ याचिकाकर्ता के पास मौजूद अन्य आधारों पर विचार नहीं किया है; इसलिए, अगर याचिकाकर्ता सक्षम अधिकारी द्वारा अन्य आधारों पर पारित किए जाने वाले आदेशों से असंतुष्ट होता है, तो उसके पास उन आदेशों को चुनौती देने का अधिकार होगा और वह इसके लिए अपने पास मौजूद सभी आधारों का इस्तेमाल कर सकेगा।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अधिकारी याचिकाकर्ता को पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस में लिए गए आधारों पर नया आदेश पारित करते हैं, तो याचिकाकर्ता से नया जवाब मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि वे अन्य आधारों पर निर्णय लेते हैं, तो वे याचिकाकर्ता को नया कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए बाध्य होंगे और जवाब प्राप्त करने के बाद ही नया आदेश पारित कर सकते हैं।

24 जून, 2026

एमकेएस

(मंजीव शुक्ला, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।